रजिस्ट्री सं° डी° एल°-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1320] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 18, 2008/भाद्र 27, 1930
No. 1320] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 18, 2008/BHADRA 27, 1930

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2008

का.आ. 2232(अ).—भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 216(अ) तारीख 9 मार्च, 2001 में संशोधन करने का प्रस्ताव, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1205(अ), तारीख 23 मई, 2008 द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिससे ऐसे व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उस राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, से 3 मास की अवधि समाप्त होने के पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गये थे;

और उक्त अवधि के भीतर केन्द्रीय सरकार को कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार न्यूनतम मजूदरी अधिनियम, 1948 की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् निम्नलिखित संशोधन करती है; अर्थात् :—

भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 216(अ) तारीख 9 मार्च, 2001, जो भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) के पैरा 5 में "सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यमों में निजी सुरक्षा सेवाओं के माध्यम से अथवा सीधे नियोजक द्वारा पहरा निगरानी कर्मचारियों का नियोजन" शब्दों के स्थान पर "पहरा निगरानी कर्मचारियों का नियोजन" शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. एस-32017/2/2008-डब्ल्यूसी]

हरचरण सिंह, उप महानिदेशक

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2008

S.O. 2232(E).— Whereas the proposal to affect the amendment in the notification of Government of India, Ministry of Labour and Employment S.O. 216 (E) dated 9th March, 2001 as published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3 Sub-section (ii), vide notification S.O. 1205 (E) dated 23rd May, 2008 of Government of India, Ministry of Labour and Employment, for information of and inviting objections/ suggestions from all persons to be affected thereby , till the expiry of three months, from the date on which the copies of the said Gazette were made available to the public.

AND whereas no objection or suggestion have been received on the said proposals by the Central Government within the said stipulated period;

NOW, therefore, in exercise of powers conferred by section 27 of the Minimum Wages Act, 1948, the Central Government, after consulting the Advisory Board, hereby makes the following amendment ; namely:

in the notification of Government of India, Ministry of Labour and Employment S.O. 216 (E) dated 9th March, 2001, published in the Gazette of India, Part-II, Section 3 Sub-section (ii), of para 5, for the words "Employment of Watch and Ward through Private Security Services or directly by the Employer in all Public Sector Enterprises", the words "Employment of Watch and Ward" shall be substituted.

[F. No. S-32017/2/2008-WC]

HARCHARAN SINGH, Dy. Director General

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2008

का.आ. 2233(अ).— न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) की अपेक्षानुसार "पहरा निगरानी कर्मचारियों का नियोजन" के अनुसूची नियोजन में लगे कर्मचारियों को दिए दैनिक न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण का प्रस्ताव भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 1206 (अ) तारीख 30 मई, 2008 द्वारा ऐसे सभी व्यक्ति की जानकारी के लिए जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, प्रकाशित की गई थी और उस तारीख से जिसको उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थी से तीन मास की अवधि की समाप्ति तक आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 24 मई, 2008 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त प्रस्ताव पर प्राप्त आक्षेप और सुझाव पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (i) और धारा 5 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात्, इस अनुसूचित् नियोजन में लगे कर्मचारियों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरें नियत करती है ।

मजदूरी की न्यूनतम दरों में, जो इस अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होंगी (क) इससे उपाबद्ध अनुसूची के भाग 1 के स्तंभ (2) में दी गई मजदूरी की मूल दर और उसके स्तंभ (1) में वर्णित क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को संदेय दरें होंगी; और

(ख) विशेष भत्ता, जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अनुसूची के भाग 2 में परिवर्ती महंगाई भत्ता निर्दिष्ट किया गया है, मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) द्वारा 01 अक्तूबर, और 01 अप्रैल से प्रारम्भ होने वाले छह मास के अंतराल पर प्रत्येक वर्ष क्रमशः 30 जून, और 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले प्रत्येक पश्चात्वर्ती छह मास की अवधि के लिए औद्योगिक कर्मकारों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर अनुसूची के भाग 2 के स्तंभ (2) में वर्णित दर पर समायोजित किया जाएगा ।

अनुसूची

भाग-1 न्यूनतम मजदूरी की मूल दरें

क्षेत्र	दैनिक मजदूरी (रुपये में)
(1)	(2)
बिना हथियार के	
क	180.00 रूपये
ख	150.00 रूपये
ग	120.00 रूपये
हथियार सहित	
क	200.00 रूपये
ख	170.00 रूपये
ग	140.00 रूपये

भाग-2 परिवर्ती महंगाई भत्ता दर **औद्योगिक श्रमिकों के लिए औसत मासिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 2001=100) में जुलाई -दिसम्बर,2007 को समाप्त अवधि के लिए 133 से ज्यादा अंकों के उछाल या गिरावट के प्रत्येक बिन्दु के लिए परिवर्ती महंगाई भत्ता दर**

क्षेत्र	परिवर्ती महंगाई भत्ता (रुपये में)
(1)	(2)
बिना हथियार के	
क	1.35 रुपये
ख	1.13 रुपये
ग	0.90 रुपये
हथियार सहित	
क	1.50 रुपये
ख	1.28 रुपये
ग	1.05 रुपये

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ

1. इस अधिसूचना के उपाबंध में दर्शित क्षेत्र "क" और क्षेत्र "ख" में ऐसे क्षेत्रों के रूप में उक्त उपाबंध में विनिर्दिष्ट क्रमशः सभी स्थान शामिल होंगे तथा नगर निगम या नगरपालिका या छावनी बोर्ड या किसी स्थान विशेष की अधिसूचित क्षेत्र समिति से पंद्रह किलोमीटर तक की परिधि के सभी स्थान शामिल होंगे । क्षेत्र "ग" में उपाबंध में क्षेत्र 'क' और क्षेत्र 'ख' में उल्लेख न किए गए ऐसे सभी स्थान सम्मिलित होंगे जिन पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 लागू होता है । केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते की अदायगी के प्रयोजन के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जोड़े गए अथवा श्रेणी में उन्नयन किए गए स्थानों को भी इस प्ररूप प्रस्ताव के उपाबंध में विनिर्दिष्ट वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए ऐसे परिवर्धन और उन्नयन की तारीखों से जोड़ा जाएगा।

2. जहां किसी संविदा या करार या अन्यथा के आधार पर किसी कर्मचारी की मजदूरी की मौजूदा दरें इसमें अधिसूचित दरों से उच्चतर हैं, वहां ऐसे कर्मचारियों के लिए इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ अनुप्रयोज्य उच्चतर दरें संरक्षित की जाएंगी और वे न्यूनतम मजदूरी दरों के रूप में मानी जाएंगी।

3. न्यूनतम मजदूरी दर के अंतर्गत साप्ताहिक विश्राम दिवस के लिए देय मजदूरी भी है।

4. न्यूनतम मजदूरी दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों पर भी लागू होती हैं।

5. निःशक्त कर्मचारियों को देय न्यूनतम मजदूरी दरें समुचित श्रेणी के श्रमिकों को देय दरों के समान ही होंगी ।

6. पुरुष और महिला कामगार समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए समान दर पर मजदूरी प्राप्त करेंगे ।

7. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन प्रवर्तनीय न्यूनतम मजदूरी दरों में न्यूनतम मजदूरी दरें और परिवर्ती मंहगाई भत्ता दोनों सम्मिलित हैं ।

उपाबंध

क्षेत्र- 'क'

अहमदाबाद	(यू ए)	हैदराबाद	(यू ए)
बंगलुरू	(यू ए)	कानपुर	(यू ए)
कोलकाता	(यू ए)	लखनऊ	(यू ए)
दिल्ली	(यू ए)	चेन्नई	(यू ए)
वृहत्तर मुम्बई	(यू ए)	नागपुर	(यू ए)

3590 GI/08-2

क्षेत्र -'ख'

आगरा	(यू ए)	जमशेदपुर	(यू ए)
अजमेर		जोधपुर	
अलीगढ़		कोच्चि	(यू ए)
इलाहाबाद	(यू ए)	कोल्हापुर	(यू ए)
अमरावती		कोझीकोड	(यू ए)
औरंगाबाद	(यू ए)	कोटा	
बरेली	(यू ए)	लुधियाना	
भावनगर		मदुरई	(यू ए)
बीकानेर		मेरठ	(यू ए)
भोपाल		मुरादाबाद	(यू ए)
भुवनेश्वर		मैसूर	(यू ए)
अमृतसर		नासिक	(यू ए)
चंडीगढ़	(यू ए)	पुणे	(यू ए)
कोयम्बटूर	(यू ए)	पटना	(यू ए)
कटक	(यू ए)	रायपुर	(यू ए)
दुर्गापुर		राजकोट	
फरीदाबाद, कम्पलैक्स		रांची	(यू ए)
गाजियाबाद	(यू ए)	शोलापुर	(यू ए)
गोरखपुर	(यू ए)	श्रीनगर	(यू ए)
गुवाहाटी शहर		सूरत	(यू ए)
गुन्टूर		तिरूवनन्तपुरम	(यू ए)
ग्वालियर	(यू ए)	वडोदरा	(यू ए)
इन्दौर	(यू ए)	वाराणसी	(यू ए)
हुबली-धारवाड		विजयवाड़ा	(यू ए)
जबलपुर	(यू ए)	विशाखापट्टनम	(यू ए)
जयपुर	(यू ए)	वारंगल	

सम्मिलित क्षेत्र 'ग' में वे सभी क्षेत्र शामिल हैं जिनका इस सूची में उल्लेख नहीं है ।

कृपया ध्यान दें: यू ए नगर वस्तियां के लिए प्रयुक्त किया गया है।

[फा. सं. एस-32017/2/2008-डब्ल्यूसी]

हरचरण सिंह, उप महानिदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2008

S.O. 2233(E).— Whereas the proposals to fix the minimum rates of wages per day payable to the employees engaged in the Scheduled employment of "Employment of Watch and Ward", was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), vide Notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment S.O. 1206 (E), dated the 23rd May, 2008 for information and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, till the expiry of the period of three months, from the date on which copies of Gazette notification were made available to the public;

AND whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on 24th May, 2008;

AND whereas objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

NOW, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) sub-section (1) of section 3 read with clause (i) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the said Act, the Central Government after consulting the Advisory Board, hereby fixes the minimum rates of wages payable to the employees employed in this Scheduled employment.

The minimum rates of wages, which will be effective from date of this notification shall consist of (a) basic rates of wages as set out in column (2) of Part- I of the Schedule annexed herewith and payable to the employees working in areas mentioned in Column (1) thereof; and

(b) a special allowance, hereinafter referred to as Variable Dearness Allowance, in Part- II of the said Schedule shall be adjusted by the Chief Labour Commissioner (Central) at an interval of six months commencing on the 1st October and 1st April on the basis of average Consumer Price Index Number

3590 GI/08-3

for Industrial Workers for the each preceding period of six months ending on 30th June and 31st December every year respectively, at the rate mentioned in Column (2) of Part-II of the Schedule.

SCHEDULE

Part – I Basic rates of wages

Area	Daily wage (In Rupees)
(1)	(2)
Without arms	
A	Rs. 180
B	Rs. 150
C	Rs. 120
With arms	
A	Rs. 200
B	Rs. 170
C	Rs. 140

Part – II Rate of Variable Dearness Allowance **Rate of Variable Dearness Allowance for every point rise or fall beyond 133, which is the average monthly Consumer Price Index Number for Industrial Workers (Base 2001=100) for the period July- December, 2007.**

Area	Variable Dearness Allowance (In Rupees)
(1)	(2)
Without arms	
A	1.35
B	1.13
C	0.90
With arms	
A	1.50
B	1.28
C	1.05

Explanation: For the purpose of the notification

1. Area "A" and Area "B" as indicated in Annexure to this notification shall respectively comprise all the places as specified in the said annexure as such areas, and include all places within a distance of fifteen kilometers from the periphery of a Municipal Corporation or Municipality or Cantonment Board or Notified Area Committee of a particular place. Area "C" shall comprise of all the other places not mentioned in Area "A" and "B" of the Annexure and to which the Minimum Wages Act, 1948 extends. The places added or upgraded from time to time by the Ministry of Finance for the purpose of payment of House Rent Allowance to Central Government employees shall be taken to be added from the date of such addition or up-gradation for the purposes of classification specified in Annexure to this draft proposal.

2. Where the existing rates of wages of any employee based on contract or agreement or otherwise are higher than the rates notified herein, the higher rates shall be protected and treated as minimum rates of wages, applicable for the purpose of this notification to such employees.

3. The minimum rates of wages include also the wages for weekly day of rest.

4. The minimum rates of wages are applicable to employees employed by contractors also.

5. The minimum rates of wages for disabled persons shall be same as payable to the workers of appropriate category.

6. The men and women employees shall get the same rates of wages for the same work or work of similar nature.

7. The minimum rates of wages and Variable Dearness Allowance both constitute the minimum rates of wages to be enforceable under the Minimum Wages Act, 1948.

ANNEXURE

AREA – "A"

Ahmedabad	(UA)	Hyderabad	(UA)
Bangaluru	(UA)	Kanpur	(UA)
Kolkatta	(UA)	Lucknow	(UA)
Delhi	(UA)	Chennai	(UA)
Greater Mumbai	(UA)	Nagpur	(UA)

AREA – "B"

Agra	(UA)	Jamshedpur	(UA)
Ajmer		Jodhpur	
Aligarh		Kochi	(UA)
Allahabad	(UA)	Kolhapur	(UA)
Amravati		Kozhikode	(UA)
Aurangabad	(UA)	Kota	
Barelly	(UA)	Ludhiana	
Bhavnagar		Madurai	(UA)
Bikaner		Meerut	(UA)
Bhopal		Moradabad	(UA)
Bhubaneshwar		Mysore	(UA)
Amritsar		Nasik	(UA)
Chandiragh	(UA)	Pune	(UA)
Coimbatore	(UA)	Patna	(UA)
Cuttack	(UA)	Raipur	(UA)
Durgapur		Rajkot	
Faridabad Complex		Ranchi	(UA)
Ghaziabad	(UA)	Sholapur	(UA)
Gorakhpur		Srinagar	(UA)
Guwahati City		Surat	(UA)
Guntur		Thiruvanantapuram	(UA)
Gwalior	(UA)	Vadodara	(UA)
Indore	(UA)	Varanasi	(UA)
Hubli-Dharwad		Vijayawada	(UA)
Jabalpur	(UA)	Vishakhapatnam	(UA)
Jaipur	(UA)	Warangal	

Area 'C' will comprise all areas not mentioned in this list.

NB: U.A. stands for Urban Agglomeration.

[F. No. S-32017/2/2008-WC]

HARCHARAN SINGH, Dy. Director General

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.